फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सरकार जरिये एस.एच.ओ. जयसिंहपुरा खोर बनाम देशराज मीणा

केस संख्या 145/2024 (गोवंशीय पशु अधिनियम 1995)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
14-11-2024	पत्रावली पेश हुई। विभागीय पैरोकार उपस्थित है। अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है। थानाधिकारी पुलिस थाना जयसिंहपुरा खोर की एफआईआर संख्या 406/2024 व सिलसिले राजस्थान गो वशीय (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 6 (1) के अनुसार दिनांक 13.10.2024 को सूचना मिलने पर करीब 6.20 पीएम पर लांगडियावास के पास पिकअप नम्बर आरजे 29 जीए 6216 में गाये व एक बछडा ठूंस ठूंस कर भरा हुआ मिला तथा वाहन में तीन व्यक्ति मौजूद मिले जिसमें वाहन चालक ने अपना नाम देशराज पुत्र रामेश्वर जाति मीणा व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम मुन्फैद पुत्र श्री सपात जाति मेव तथ तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम इलियास पुत्र श्री मुंशी जाति मेव बताया । पिकअप में 3 गाय व 1 बछडे को ठूंस ठूंस कर भर रखा था जिनके परिवहन बाबत किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र व डाक्टरी रिपोर्ट नहीं पाई गई। जिनको नीचे उतार कर जब्त कर हिंगोनिया गौ शाला जयपुर में भिजवाया गया तथा पिकअप को जब्त कर सुरक्षार्थ खडा किया । अप्रार्थी देशराज मीणा के अधिवक्ता का कथन है कि प्रकरण में जब्त वाहन का एक मात्र स्वामी होने है तथा जब्त पिकअप अप्रार्थी के परिवार की आय का मुख्य स्त्रोत है। पिकअप खुले में खडी है जिससे खराब होने का अंदेशा है। कथनों के समर्थन में एसबी क्रिमिनल मिसलियन्स पीटशन नम्बर 2097, 1978 व 1941 आफ 20245 आदेश दिनांक 01 जुलाई 2024 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः जब्त पिकअप को जमानत सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश फरमावे। विभागीय पैरोकार ने कथन किया कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 धारा 6 (क) मे अभिग्रहित वाहन एवं धारा 7 में अभिग्रहित गोवंशीय पशु की अभिरक्षा और निपटारा किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को है। गोवंश को थानाधिकारी जयसिंहपुरा खोर द्वारा पूर्व में ही प्रवन्धक हिंगोनिया गौशाला जयपुर की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा पिकअप में गो वंश को बिना किसी चिकित्सक रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञप्ति के क्षमता से अधिक क्रूरता के साथ भर कर ले जाते पाया गया है। अतः अधिनियम की धारा 6 (क) के तहत वाहन एवं धारा 7 के तहत गोवंश को जब्त सरकार किये जाने के आदेश फरमावें।	

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सरकार जरिये एस.एच.ओ. जयसिंहपुरा खोर बनाम देशराज

केस संख्या 145/2024 (गोवंशीय पशु अधिनियम 1995)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप
14-11-2024	उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा बिना चिकित्सक रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के पिकअप में ठूंस ठूंस कर कुल 03 गाये व 1 बछडे को ले जाते पाया गया है। वाहन की इस कृत्य में संलिप्तता नहीं है, यह साबित करने में अप्रार्थी नाकामयाब रहा। गाड़ी मालिक अबेटर श्रेणी में आता है। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक में साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनाधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जाने का प्रावधान है। अतः 5,000/–अक्षरे पांच हजार रूपये जुर्माना राशि " पशु क्रुरता निवारण समिति जयपुर " बैंक ऑफ बडौदा शाखा एम. आई. रोड जयपुर के खाता संख्या 014210008024 में जमा कराता है, तो यदि किसी अन्य प्रकरण में उक्त कन्टेनर वांछित नही हो तो कन्टेनर को छोड़ दिया जाये और यदि जुर्माना राशि एक माह में जमा नहीं कराता है, तो कन्टेनर को जब्त कर लिया जावे। साथ ही वाहन मालिक शपथ पत्र इस आशय का पेश करें कि कार्यवाही मुकदमा के दौरान वह उक्त वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा और ना ही रंग रोगन करेगा। जब भी न्यायालय वाहन को तलब करेगा, वाहन को प्रस्तुत कर दिया जावेगा। जब्त गौ वंश को पूर्व में ही पुलिस थाना जयसिंहपुरा खोर द्वारा प्रबन्धक हिगोनिया गौशाला जयपुर की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। पत्रावली दिनांक 12.12..2024 को पेश हो। [signature] जिला कलक्टर जयपुर
19-11-24 मूल केस [illegible] 21.11.24	अप्रार्थी द्वारा जुर्माना राशि जमा करा कर रसीद पेश करने पर तलब की गई। सरकारी पैरोकार व अप्रार्थी अधिवक्ता उप० हैं। अप्रार्थी ने इस आदेश दिनांक 14-11-2024 की पालना में शपथ पत्र व शास्ति राशि 5000/– अक्षरे पांच हजार रुपये राजकोष में जमा करा कर रसीद पेश करते हैं। मोचन आदेश जारी हो पत्रावली नम्बर से कम हो। [signature] जिला कलक्टर जयपुर

Scanned with OKEN Scanner